#### 1

# <u>न्यायालयः—अमनदीप सिंह छाबड़ा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी</u> <u>बैहर, जिला बालाघाट(म0प्र0)</u>

<u>प्रकरण कमांक 748/07</u> संस्थित दिनांक —22/12/07

म0प्र0	राज्य	द्वारा,	थाना	बिरसा
जिला	बालाध	ग्रट म	०प्र०	50

.....अभियोगी

/ / विरूद्ध / /

- 01. पदुमसिंह वल्द माहुसिंह, उम्र 51 वर्ष साकिन सरोदी थाना बकरकट्टा—मृत
- 02. महासिह बल्द फागूलाल उम्र 35 वर्ष निवासी लमरा थाना बकरकट्टा
- 03. रसपाल बल्द रामप्रसाद उम्र 52 वर्ष निवासी भुडारी थाना बकरकट्टा
- 04. भागचंद बल्द पिताम्बर उम्र 40 वर्ष निवासी भुजारी थाना बकरकट्टा
- 05. मनोज बल्द सुशीलकुमार उम्र 25वर्ष निवासी सालेवाड़ा राजनंदगांव
- 06. बाबा उर्फ उमानाथ बल्द बहादुरसिंह उम्र 27वर्ष निवासी अरण्डीटोला थाना मलाजखण्ड
- 07. महेन्द्रसिंह बल्द माहुसिंह उम्र 28 वर्ष—**मृत** निवासी अरण्डीटोला थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट म0प्र0

आरोपीगण

## <u>ःनिर्णयः</u>

## <u> दिनांक 16 / 12 / 2016 को घोषित}</u>

1. अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 212/34 भा.दं०सं० के अंतर्गत आरोप है कि उन्होंने अन्य सह अभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय के अग्रशरण में दिनांक 13.11.2007 को समय 12:30 बजे स्थान फारेस्ट बैरियर बिरसा थाना बिरसा में ज्ञान व विश्वास का युक्तियुक्त कारण रखते हुए वारण्टी नक्सली माखनलाल मरकाम, गोलाराम, परऊ को वाहन कमांक सी०जी0—08/5242 में गिरफतारी से बचने के लिए प्रतिच्छादित करने के आशय से संश्रय दिया जबकि उक्त अपराधीगण द्वारा कारित अपराध सात वर्ष

की अवधि के कारावास से दण्डनीय थार्र

- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 13.12. 2. 2007 को मुखबिर से सुचना प्राप्त हुई कि थाना बकरकट्टा के अपराधी नक्सली गोलाराम मरकाम, परउ, माखनलाल कुछ स्थानीय लोगों का सहयोग लेकर वाहन कमांक सी0जी0-08 / 5242 से बिरसा थाना क्षेत्र में गिरफतारी से बचने घूम रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर हमराह स्टाफ के साथ उक्त नम्बर के वाहन को चैक करने नाकाबदी की गयी। भीमजोरी में उक्त वाहन को रोकने का प्रयास किया गया पर वाहन नहीं रूका तब बिरसा बेरियर में लगे स्टाफ द्व ारा उक्त वाहन को रोककर नाम पता पूछने पर आरोपीगण उक्त फरार नक्सली के साथ मिले जिनसे पूछताछ करने पर बकरकट्टा थाने में अपराध दर्ज होना बताया। उक्त फरार अपराधीगण पर बकरकट्टा थाना में अपराध कमांक 3/06, 4/06, 5/06 धारा 147, 148, 149,435, 427 भा.दं०सं० तथा थारा 25,27 आयुध अधिनयम का पंजीबद्ध होकर गिरफतारी शेष होना पाया। मौके पर वाहन को गवाहों के समक्ष जप्त कर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 212 / 34 भा.दं०सं० का अपराध पाये जाने से गिरफतार कर अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौरान विवेचना के बाबा उर्फ उमानाथ तथा महेन्द्रसिंह धूर्वे का सहयोग होना पाया गया। घटनास्थल का मौकानक्शा बनाया गया साक्षियों के कथन लेख किये गये सम्पूर्ण विवेचना उपरांत न्यायालय में अंतिम प्रतिवेदन पेश किया गया।
- 3. न्यायालय द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध धारा धारा 212 भा.दं०सं० के अंतर्गत अपराध विरचित कर पढ़कर सुनाये तथा समझाये जाने पर आरोपीगण द्वारा अपराध करना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। आरोपीगण ने धारा 313 द०प्र०सं० के अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व्यक्त कर बचाव साक्ष्य न देना प्रकट किया है।
- 4. प्रकरण के निराकरण के लिए निम्न विचारणीय प्रश्न है:--
  - (1) क्या अभियुक्तगण ने अन्य सह अभियक्तगण के साथ सामान्य आशय के अग्रशरण में दिनांक 13.11.2007 को समय 12:30 बजे स्थान फारेस्ट बैरियर बिरसा थाना बिरसा में ज्ञान व विश्वास का युक्तियुक्त कारण रखते हुए वारण्टी नक्सली माखनलाल मरकाम, गोलाराम, परऊ को वाहन क्रमांक सी0जी0–08/5242 में गिरफतारी से बचने के लिए प्रतिच्छादित करने के आशय से संश्रय दिया जबिक उक्त अपराधीगण द्वारा कारित अपराध सात वर्ष की अविध के कारावास से दण्डनीय था ?

#### ः:सकारण निष्कर्षः:

### विचारणीय प्रश्न कमांक 100

- घटना का समर्थन करते हुए साक्षी ए.एल. सैयाम (अ.सा.10) 5. का कथन है कि दिनांक 13.11.2007 को थाना बिरसा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर तैनाती के दौरान मुखबिर से सूचना मिली की वाहन क्रमांक सी.जी. 08 / 5242 मैक्स में थाना बकरकट्टा के वाण्टेड माखनलाल मरकाम, परउ, गोलाराम को सहयोगी भागवत, रसपाल, महासिंह, पदुमसिंह एवं द्वायवर मनोज साथ में लेकर पुलिस गिरफतारी से बचने हेतु घूम रहे हैं। सूचना पर हमराह स्टाफ के साथ नाकाबंदी कर उक्त मैक्स वाहन को पकड़कर पूछताछ की गयी तो थाना बकरकट्टा के अपराध क्रमांक 03/06,04/06,05/06 धारा 147,148,149,435,427 भा.दं०सं० एवं धारा 25,27 आर्म्स एक्ट में संलग्न एवं गिरफतारी होना शेष पाया गया तथा उनका सहयोग आरोपीगण द्वारा करना पाये जाने से आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 77/07 धारा 212 भा. दं0सं0 पंजीबद्ध किया गया जो प्र.पी19 है जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को गवाह सुनील की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्र.पी20 तैयार किया गया था जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को ज्ञायवर मनोज से मैक्स वाहन क्रमांक सी.जी. 08 / 5242 को जप्ती पत्रक प्र.पी02 के अनुसार गवाहों के समक्ष जप्त किया था तथा आरोपीगण को गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक प्र.पी03 लगायत ०९ तैयार किया गया था जिसके बी से बी भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं।
- 06. ए.एल. सैयाम (अ.सा.10) का कथन है कि उसी दिनांक को वान्टेड आरोपी माखनलाल, गोलाराम, परऊ के विरुद्ध इस्तगासा क्रमांक 01/07 धारा 41,(1)(1) द0प्र0सं0/ आपराधिक प्रकरण क्रमांक 2,3,4,5/06 धारा 147,149,435,427 भा.दं0सं0 तैयार किया गया था जो प्र.पी21 है जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को साक्षी सुनील उइके, मो0 सईद के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। साक्षी आरक्षक रामकृष्ण, आरक्षक मनमोहनसिंह, आरक्षक सुरेश, आरक्षक गुलचंद, आरक्षक माधवसिंह तथा सैनिक रौनूसिंह के कथन दिनांक 16.12.07 को लेखबद्ध किये थे। उपरोक्त दिनांक का वापसी सान्हा साक्षी द्वारा सत्यापित किया गया है जो प्र.पी.22 है जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं।
- 07. एस.एस.रामटेककर (अ.सा.—7) का कथन है कि दिनांक 13.11.07 को मुखबिर की सूचना पर थाना बकरकट्टा जिला राजनंदगावं के अपराध कमांक 3/06,4/06,5/06 धारा 147,148,149,435,427 भा.दं0सं0 में फरार आरोपी माखनलाल, भोलाराम, परऊ को मय स्टाफ एवं गवाहों के समक्ष धारा

41,(1),(1) दं0प्र0सं0 में गिरफतार किया गया था जिसके द्वारा इस्तगाशा क्रमांक 01 / 07 धारा 41,(1),(1) दं0प्र0सं0 पंजीबद्ध किया गया था तथा संबंधित थाने को सूचना दी गयी थी, उपरोक्त रोजनामचा सान्हा प्र.पी04 है जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

- घटना का समर्थन गुलचंद (अ.सा.-2), माधवसिंह (अ.सा.-3), 08. रामकृष्ण बघेल (अ.सा.—4), खनूसिंह धुर्वे (अ.सा.—5), मनमोहनसिंह (अ.सा.—9) तथा सुरेश (अ.सा.–10) ने किया है। सुरेश (अ.सा.–10) का कथन है कि घटना दिनांक 13.11.07 को उसे मुखबिर से सूचना मिली थी नक्सलियों को कुछ लोग सश्रय देने के उदेश्य से मैक्स वाहन में बैठाकर ला रहे हैं जिसकी सूचना पर उन्होंने बैरियर पर वाहन को रोका उक्त वाहन में भोलाराम, माखनलाल, पदमसिंह और महासिंह वगैरह बैठे हुये थें जिनको गिरफतार किया गया था। आरोपीगण से थाना में पूछताछ के दौरान उन्होंने बकरकट्टा छत्तीसगढ़ का होना बताया था। सहायक उपनिरीक्षक अनिल सरयाम द्वारा आरोपीगण से वाहन की जप्ती की गयी थी, पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उनके बयान लिये थे, जप्त किया गया मैक्स वाहन नम्बर सी.जी.08 / 5242 था। पक्षद्रोही द्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि पदुमसिंह, महासिंह, रसपाल, भगवत, मनोजकुमार, बाबा उर्फ उमानाथ तथा महेन्द्रसिंह सभी आरोपीगण अन्य आरोपी नक्सली गोलाराम, परम, माखनलाल को गिरफतारी से बचाने के लिए गाडी में लेकर भागने का प्रयास कर रहे थे।
- 09. मनमोहनसिंह (अ.सा.—9) का कथन है कि वर्ष 2005 से 2007 तक वह आरक्षक के पद पर पदस्थ था, सहायक उपनिरीक्षक साहब ने कहा था कि किसी को पकड़ने चलना है। तब वह मलाजखण्ड़ तरफ आये और उन्हें रोका, नहीं रूकने पर पीछा कर बिरसा बेरियर के पास उनके वाहन को रोका और साहब ने पूछताछ की तथा पकड़कर थाने ले गये थे फिर उनके साहब ने पकड़कर पूछताछ की थी जिस पर उन लोगों ने छत्तीसगढ़ के नक्सलवादी होना बताया था और साहब ने उन्हें गिरफतार किया था। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।
- 10. गुलचंद डोहरे (अ.सा.—2) का कथन है कि घटना के संबंध में वह लोग थाना बिरसा में पदस्थ थे। आई.जी. साहब का फोन आया कि क्षेत्र से गुजरने वाले वाहन की चैकिंग करों तो चैकिंग के लिए वह लोग सरयाम साहब के साथ मय स्टाफ फारेस्ट नाका बिरसा गये आई.जी. साहब की सूचना अनुसार मार्शल जीप का नम्बर जो आई.जी. साहब ने बताया था को रोकने पर उसमें आरोपीगण के अतिरिक्त अन्य दो व्यक्ति बैठे थे जो नक्सलवादी संगम संगठन के सदस्य थे इसलिए दोनों नक्सलियों को और आरोपीगण को लेकर

थाने गये फिर उसके बयान लिये थे। 🧥

- 11. माधवसिंह मेरावी (अ.सा.—3) का कथन है कि घटना के समय उसकी डियूटी फारेस्ट नाका बिरसा में थी उन्हें सूचना प्राप्त हुई कि नाके से होते हुए कोई गाड़ी नक्सली एवं उनके सहयोगियों को लेकर जा रही है तो वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन में उन्होंने वाहन की चैकिंग की एक गाड़ी द्रेक्स की चैकिंग करने पर उन्होंने पाया कि आरोपीगण उसमें बैठे हुए हैं जिन्हें लेकर वह थाना गये। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि सरयाम साहब ने पूछताछ किया था तो आरोपीगण घूमने का सही कारण नहीं बता पाये थे। आरोपीगण के अतिरिक्त उस गाड़ी में भोलाराम और माखनलाल भी उपस्थित थे एवं आरोपीगण नक्सलियों को बचाने तथा संश्रय देते पाए गये उसने अपना बयान भी दिया था।
- 12. रामकृष्ण बघेल (अ.सा.—4) का कथन है कि घटना के समय में पदस्थ थाना प्रभारी बिरसा को मुखबिर द्वारा सूचना मिली की नक्सलाइटों से जुड़े हुए व्यक्ति चार पहिया वाहन से थाना बिरसा अंतर्गत घूम रहे हैं तब थाना प्रभारी के द्वारा चार—चार व्यक्तियों का दल बनाकर एक दल थाने के सामने फारेस्ट नाका पर तथा एक दल भीमजोरी क्षेत्र पर चैकिंग के लिए भेजा गया था वह थाना के पास फारेस्ट नाका के सामने वाले दल में था जिसका प्रमुख प्रधान आरक्षक धनराज नंदा था। जिसके पास संदेहास्पद वाहन का नम्बर लेख था। उसे आज केवल प्रारंभ का नम्बर सी.जी.08 याद है। नाक पर सफेद रंग की सूमों प्रकार की गाड़ी आने पर रोका गया जिसमें आरोपीगण थे। प्रधान आरक्षक धनराज नंदा द्वारा वाहन में बैठे आरोपीगण से पूछताछ की गयी और उन्हें पकड़कर थाना प्रभारी की ओर लेकर गये। आरोपीगण से प्रधान आरक्षक धनराज नंदा एवं थाना प्रभारी महोदय द्वारा की गयी पूछताछ की गयी थी जिसकी उसे कोई जानकारी नहीं है।
- 13. रवनूसिंह धुर्वे (अ.सा.—5) को प्रतिकूल घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना के समय सहायक उपनिरीक्षक साहब ने बताया था कि वाहन सी.जी08/5242 में नक्सली आ रहे हैं जिन्हें रोकना है। उसके बाद थाने के स्टाफ के साथ बिरसा बेरियर में नाका बंदी कर उक्त वाहन को रोकने पर आठ आदमी बैठे थे जिन्होंने अपना नाम द्वायवर मनोज तथा अन्य गोलाराम, बरन, माखनलाल बताया उनके सहयोगी पदमसिंह, महासिंह, भागवत, रसपाल थे जो पूछने पर अंडीटोला के बाबा के यहां जाना बताये थे। आरोपीगण ने बताया कि नक्सलियों से पूर्व से परिचित होकर सहयोग किये हैं और उनकी मदद करते आये हैं। गाड़ी को जप्त कर सभी लोगों को गिरफतार किया गया था।

- राजेश देवदास (अ.सा.—6) का कथन है कि दिनांक 13.11.07 14. थाना बकरकट्टा जिला राजनंदगांव में वह थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को थाना बकरकट्टा के अपराध क्रमांक 03/06, 04/06, 05 / 06 धारा 147,148,149,435,427 भा.दं0सं0 के प्रकरण में विवेचना के दौरान मामले के फरार आरोपी माखनलाल, भोलाराम, परउ के गिरफतारी की सूचना थाना बिरसा से मिलने पर थाना बकरकटटा के प्रकरण में गिरफतार कर अपने प्रकरण में चालानी कार्यवाही किया था थाना बकरकट्टा के अपराध्ण क्रमांक 03 / 06, 04 / 06, 05 / 06 की प्रथम सूचना की प्रति उसके द्वारा सत्यापित की गयी थी जो प्र.पी.11 लगायत 13 है जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। गिरफतार आरोपी माखनलाल, गोला एवं परउ के विरूद्ध चालानी कार्यवाही कर न्यायालय में पेश किया था जिसकी सत्यापित प्रति प्र.पी14 के ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। अंतिम प्रतिवेदन की सत्यापित प्रति क्रमशः प्र.पी.15,16,17 है जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। थाना बिरसा के इस्तागाशा क्रमांक 01/07 धारा 41(1)(1) भा.दं०सं० के तहत गिरफतार आरोपी को स्थानांतरण में प्राप्त कर अपने प्रकरण में प्राप्त किया था।
- 15. मोहम्मद सईद (अ.सा.—1) ने घटना से स्पष्ट इंकार किया है। साक्षी ने जप्ती तथा गिरफतारी से इंकार कर जप्ती पत्रक प्र.पी02 तथा गिरफतारी पत्रक प्र.पी03 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। परमानंद (अ.सा.—8) का कथन है कि घटना के समय उसने अपना मैक्स वाहन साले राजेश अग्रवाल को आवश्यकता होने पर दिया था। साले राजेश ने बताया था कि मैक्स वाहन को सरपंच पदुमसिंह को दिया था वह आरोपी पदुमसिंह को नहीं जानता है उसका साला राजेश जानता है घटना के संबंध में उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था।
- 16. उपरोक्त विवेचना स यह सिद्ध होता है कि घटना दिनांक को फारेस्ट बेरियर बिरसा में आरोपीगण भागवत, रसपाल, महासिंह, पदुमसिंह एवं द्वायवर मनोज बकरकट्टा थाने के आरोपी माखनलाल, परऊ, गोलाराम के साथ वाहन कमांक सी.जी.08—5242 में पकडे गये थे। परंतु क्या आरोपीगण ने उक्त बकरकट्टा थाने के आरोपियों का अपराध होना जानते हुए उन्हें वैधदण्ड से प्रतिच्छादित करने के आशय से संश्रय दिया है, इस संबंध में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है। अंतिम प्रतिवेदन प्र.पी14 लगायत प्र.पी16 से यह दर्शित है कि गोलाराम, माखनलाल, परऊ के विरुद्ध वर्तमान प्रकरण में गिरफतारी उपरांत न्यायालय न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी खेरागढ़ में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

- प्रथम सूचना रिपोर्ट 03/06, 04/06, 05/06 प्र.पी11 लगायत प्र.पी13 अज्ञात आरोपी के विरूद्ध दर्ज की गयी जिसके पश्चात वर्तमान प्रकरण में गिरफतारी उपरांत उक्त आरोपीगण गोलाराम, माखनलाल, परऊ के विरूद्ध दिनांक 24 / 11 / 2007 को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। वर्तमान प्रकरण के आरोपीगण उक्त व्यक्तियों के साथ वाहन में पाये गये। अभियोजन के अनुसार आरोपीगण बकरकटटा थाने के अपराधियों के साथ घुमने का उचित स्पष्टीकरण नहीं दे पाये। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात अपराधियों के विरूद्ध दर्ज होना दर्शित है। ततपश्चात ऐसा कोई भी तथ्य नहीं है कि उक्त कथित नक्सलवादी अपराधियों के विरूद्ध कोई संसूचना आम जन में प्रेषित की गयी थी कि उक्त व्यक्तियों द्वारा कोई अपराध कारित किया गया है तथा दण्ड से बचने हेतु फरार हैं। वर्तमान प्रकरण में दो आरोपीगण उमानाथ व मृतक महेन्द्र को विवेचना उपरांत आरोपी बनाया गया है। जिनके संबंध में प्रकरण में कोई तथ्य नहीं किये हैं। आरोपीगण के साथ एक वाहन में होने मात्र से अभियुक्तगण के विरूद्ध किसी प्रकार की उपधारणा नहीं की जा सकती है। धारा 212 भा.दं0सं0 का अपराध हेतू यह आवश्यक है कि व्यक्ति द्वारा कोई अपराध कारित किया गया और अभियुक्त द्वारा यह जानते हुए अथवा विश्वास रखते हुये उसे वैध दंण्ड से प्रतिच्छादित करने के आशय से संश्रय दिया अथवा छिपाया ।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट ही अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध दर्ज होना दर्शित है तो जन साधारण से यह अपेक्षा कैसे की जा सकती है कि उन्हें व्यक्तियों द्वारा अपराध कारित करने की जानकारी होगी। अभियोजन में ऐसे कोई तथ्य नहीं आये हैं कि उन व्यक्तियों की तलाश के संबंध में बकरकट्टा पुलिस द्वारा आमजन को सूचित किया गया था। केवल एक ही क्षेत्र में होने के कारण यह उपधारणा नही की जाती कि अभियुक्तगण को उनके अपराध कारित करने के पश्चात फरार होने की जानकारी रही होगी। दो अभियुक्त उमानाथ तथा मृतक महेन्द्र को विचारण के दौरान यह तथ्य सामने आने पर कि अभियुक्तगण ने अंडीटोला के बाबा के यहां जाना बताया था, के आधार पर आरोपी बनाया गया है जिनके विरूद्ध साक्ष्य में कोई तथ्य ही नहीं आये हैं। यह स्थापित विधि है कि कारित अपराध के संबंध में अपराधी जब तक दोषसिद्ध ना कर दिया गया हो तब तक उसे संश्रय प्रदान करने वाले व्यक्ति का अभियोजन प्रारंभ नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत- कृरिया कोसी वाको बनाम राज्य 1951 सी.आर.एल.जे.470 अवलोकनीय है। वर्तमान प्रकरण में उक्त व्यक्तियों के विचारण के परिणाम की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। सम्पूर्ण अभियोजन एक ही वाहन में साथ में होने मात्र से अभियुक्तगण के विरूद्ध आधारित हैं जो आधारहीन प्रतीत होता है क्योंकि व्यक्तियों द्वारा अपराध कारित

शा0 वि0 पदुमसिंह+6

करने की जानकारी अभियुक्तगण को होने के संबंध में कोई तथ्य ही उपलब्ध नहीं हैं।

- 19. अतः अभियुक्तगण भागवतसिंह, रसपालसिंह, महासिंह, उमानाथ एवं द्घायवर मनोज को भा.दं०सं० की धारा 212/34 के तहत दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।
- 20. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 21. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन क्रमांक सी.जी.08—5242 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष मे उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावें।
- 22. अभियुक्तगण विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में रहे हैं, इस संबंध में धारा 428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

(अमनदीप सिंह छाबड़ा) (उ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायि बैहर, बालाघाट (म.प्र.) बैह

(अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.)